7-5.18 पश्चिमी राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान
तथा आपसी समझौता अभियान 2018 बाबत
सुनवाई पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित
अप्रार्थी नं. 1 से 10 के वकील उपस्थित हुए।
M.P. उपस्थित प्रार्थना पत्र आपसी
निपटारा का सुना गया। अप्रार्थी सं. 1 से 10
जवाब पेश नहीं कर रहे हैं तथा मूल
वाद के लंबित होने के कारण आपसी
में प्रार्थीया के कब्जे हिस्से को अप्रार्थी
सं. 1 से 10 द्वारा रहम अनुसार देने का
हेतु पारित किया जाता है तथा प्रार्थीया

बनाम

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	के कलेक्टर जिला [illegible] के [illegible] खण्ड [illegible] को यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया है। [illegible] प्रेम कुमार [illegible] नजर में [illegible] हो। कुल न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner